जोत चकबन्दी आकार-पत्र २३ (भाग १ उद्धरण) प्रतिलिपि

(नियम ४६) अस्थाई चकबन्दी योजना (खतौनी चकबन्दी)

गांव/गांवों पड़रखा परगना व तहसील व जिला सीतापुर

क्रम संख्या	खातेदार का नाम, पिता नाम तथा निवास स्थान	भौमिक अधिकार का वर्ग	भौमिक अधिकार के प्रारम्भ होने का वर्ष	पुनरीक्षित वार्षिक रजिस्टर (जोत चकबन्दी आकार-पत्र १९) की खाता संख्या	गाटा संख्या	मूल जोत क्षेत्रफल: कुल योग	मूल जोत क्षेत्रफल: जो चकबन्दी में सम्मिलित नहीं है	मूल जोत क्षेत्रफल: जो चकबन्दी में सम्मिलित है	चकबन्दी किये जाने वाले गाटों अथवा उनके भागों का विनिमय अनुपात	चकबन्दी में लिये जाने वाले गाटों अथवा उनके भागों का आना मूल्यांकन	जोत की मालगुजारी	सार्वजनिक प्रयोजनों हेतु अंशदान का मूल्यांकन आने में जो रिक्तिपन के हिसाब से मूल्यांकन दर के आधार पर है (स्तम्भ ११ के योग का योग X अंशदान का प्रतिशत/५००)
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३
४१	गोविन्दलाल पुत्र परशुराम नि० ग्राम	सयूर	अज्ञ	१४	८	१.१६५	—	१.१६५	१-८०	९५.६६		६.८६
					८४/२	०.३५६	—	०.३५६	१-८०	२८.५६		
					८४/७	०.०८०	—	०.०८०	१-८०	६.४०		
					१४/१	०.०६६	—	०.०६६	१-६०।	५.३६		
					१४/१ मि०	०.०११	—	०.०११	१-५०।	९.१०		
					१८/२ मि०	०.०१३	—	०.०१३	१-१०।	१.३०		
					३५३ मि०	०.०१२	—	०.०१२	१-६०।	१.०८		
						कुल जिन्स	८६	१.६४४	—	१.६४४	—	१३६.२९	६४.९५

आदेशानुसार श्रीमान स० च० अ० पीतपुर वाद सं० ७७/०१/१३ धारा 12 में आदेश हुआ कि चक सं० ५१ की द्वितीय चक 70 मि० 0.017 कुल 5 कि० 6.94 में गोविन्दलाल पुत्र परशुराम नि० ग्राम के साथ श्रीमती धनपती पत्नी रामेश्वर दयाल नि० पड़रखा का नाम पंजीकृत बैनामा सं० 6250 कि० 6.94 दिनांक 13/5/10/0/13 के आधार पर बतौर (सह खातेदार दर्ज हो) अ० ह० ले० प्रमाणित 22/01/013 22.2.13

आदेशानुसार स० च० अ० वाद सं० 12 (84/13) धारा 12 में आदेश हुआ कि चक सं० ५१ की गा० सं० 0357 के शेष क्षे० 195 से गोविन्दलाल पुत्र परशुराम नि० ग्राम का नाम पंजीकृत बैनामा सं० 8202 कि० 29-0.015 के आधार पर खारिज करके विनिमेश कुमार पुत्र रामप्रकाश नि० ग्राम का नाम बतौर स० भू० दर्ज हो। अ० ह० ले० प्रमाणित 16/4/015 16/4/15

आदेशानुसार स० च० अ० पीतपुर वाद सं० 19-3014 में आदेश हुआ कि चक सं० ५१ की गाटा सं० 84/3 (0.357) में से 0.162 है० से गोविन्दलाल पुत्र परशुराम नि० ग्राम का नाम पंजीकृत बैनामा सं० 176 दिनांक 9-1-014 के आधार पर खारिज करके विनिमेश कुमार पुत्र परशुराम नि० ग्राम का नाम बतौर स० भू० दर्ज हो। अ० ह० ले० प्रमाणित 22/5/014 22/5/014

क्रम संख्या	सार्वजनिक प्रयोजनों का अंशदान क्षेत्रफल (स्तम्भ १३ X ८/स्तम्भ ११) (जोत के योग पर)	मालगुजारी जो सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए प्रदत्त भूमि के अंशदान के कारण कम की जाय (स्तम्भ १४X स्तम्भ १२/स्तम्भ ७ (जोत के योग पर)	सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए प्रदत्त भूमि के प्रतिफल की धनराशि (स्तम्भ १५X धारा २९-ख के अधीन नियत गुणक	प्रविष्ट किये जाने वाला शुद्ध मूल्यांकन (स्तम्भ १६ स्तम्भ १३) (जोत के योग पर)	भौमिक अधिकार का वर्ग	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	विनिमय अनुपात	मूल्यांकन आने में	सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए भूमि अंशदान के कारण की जाने वाली कमी घटि कोई है, करने के बाद मालेयान ग्राम सेर मालगुजारी (स्तम्भ १२ स्तम्भ १५)	विशेष
१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२	२३	२४
	०.०८६	३.२०	१२-८०	१३०.३३	सयूर II	८ मि०	०.६२५	१-८०।	६६.०१	
						८४/२ मि०	०.०६६	१-६०।	६.६५	
						८४/७ मि०	०.२१५	१-८०।	१६.२०	
						८४/२ मि०	०.१८०	१-८०।	१६.४१	
						८४/३ मि०	०.२०६	१-८०।	१६.२६	
						१०८ मि०	०.०१५	१-८०।	१.२०	
						कुल	०.६६४	—	२६.३२	
					मोजा	कुल जिन्स	१.६१६	—	१३०.३३	

आदेशानुसार श्रीमान अ० संचालक चकबन्दी महोदय नि० ग्राम व सम्बन्धित सं० ५२५+५२३+५२६+५२८+८२९ की धारा ४८ व ४८(३) में आदेश हुआ कि चक सं० ५१ में निम्न संशोधन किया गया। (संशोधन किया गया)

	निष्कासन				विया गया			
८४/१ मि०	0.१६८	१-८०।	१४.३१	(६५)	८४/१ मि०	0.०१६	१-८०।	१.३१
८४/१ मि०	0.०१०	१-८०।	0.६३	चकमार्ग	८४/३ मि०	0.०१३	१-८०।	0.६६ (६६)
८ मि०	0.०१५	१-८०।	१.२४	(३४)	शेष	0.०२८	—	२.२६
३ कि०	0.२०३	—	१६.२८		८४/२ मि०	0.०१०	१-८०।	0.८०
					८४/३ मि०	0.०४४	१-०।	0.३२
					८४/४ मि०	0.०१०	१-०।	0.८० चकमार्ग
					१०५/१ मि०	0.०७४	१-६०।	0.२८
					४ कि०	0.०२८	—	२.२०
					८४/२ मि०	0.०३३	१-८०।	१.८०
					८४/४ मि०	0.०६०	१-८०।	५.६० चकरोड
					१०५/१ मि०	0.०३१	१-६०।	२.२०
					१०५/२ मि०	0.०१५	१-६०।	0.६८
					८४/५ मि०	0.०१५	१-८०।	१.१२
					५ कि०	0.१५२	—	११.७१
					११ कि०	0.२०८	—	१६.१८
						अ० ह० ले० प्रमाणित 21.06.11		अ० ह० ले० प्रमाणित 22.06.11

आदेशानुसार श्रीमान स० च० अ० महोदय मु० न० 40 (16.1.01) की धारा 12 में आदेश हुआ कि खाता सं० 95 (चक सं० 41) के गाटा सं० 11 (0.024) पंजीकृत बैनामा सं० 5310 (6011) के अनुसार खातेदार गोविन्दलाल पुत्र परशुराम का नाम खारिज करके रामप्रकाश पुत्र गोकरन प्रसाद नि० ग्राम पड़रखा का नाम बतौर बैनामादार सं० 2 दर्ज हो। नाम CH. से दर्ज हो। अ० ह० ले० प्रमाणित 28/1.2.011 28/1/11

As per the order passed by Hon'ble High court dated 05/04/2011, in Writ Petition No. 5341(COM)/2011, "the operation of impugned order dated 19-07-2011, so far as it relates to the Petitioner is hereby stayed till further orders of the Court". अ० ह० ले० प्रमाणित 29/08/11

चकबन्दी लेखपाल चकबन्दी कर्ता सहायक चकबन्दी अधिकारी मण्डल

P.T.O.

* आदेशानुसार श्रीमान स०च० अ० महोदय नि० अधिशासी सीतापुर द्वारा आ० सं० 21 दिनांक 14 के अनुपालन आदेश हुआ कि ग्राम पड़रखा परगना व तहसील व जिला सीतापुर के CH-23 भाग-1 के चक संख्या 41 के खुल गाटा सं. 1/1.186 [illegible] 1.286 हे. से 0.61 हे. बंजर भाग० भूमि नियमानुसार सालाना से जरिये बैनामा नि० सं० क्रमांक: 12-22/ई० 21-12-2012 व 12288/ई० 17-12-2012 के द्वारा विक्रेता गोविन्द लाल पुत्र परशुराम नि० पड़रखा का नाम पृथक करके क्रेतागण श्रीमती सुनीता देवी पत्नी निशिलेश कुमार शुक्ला 0.212 हे. व श्रीमती धनपती पत्नी राजेश्वर 0.405 हे. सकिनिवासी ग्राम पड़रखा का नाम बतौर बैनामेदार सं० 20 दर्ज हो। [illegible] 29-2-18 — प्रमाणित 29-2-18

आदेशानुसार श्रीमान स०च० अ० महो० क्र० 33/15/112 धारा-12 में आदेश हुआ कि ग्राम पड़रखा के CH-23 भाग-1 के चक सं० 41 के खुल जोत के गाटा सं० 8/1.19 हे० के अपने वैधानिक अंश में से 0.225 हे० अपने सम्पूर्ण अंश ग्राम नियमानुसार से विक्रेता गोविन्द लाल पुत्र परशुराम नि० पड़रखा का नाम संलग्न पंजीकृत बैनामा सं. 9889/9.9.2021 से दाखिल होकर क्रेता सुनीता देवी पत्नी निशिलेश कुमार नि० ग्राम पड़रखा का नाम बतौर बैनामेदार सं० 20 दर्ज हो। [illegible] 5/10/2021

* आदेश अनुसार श्रीमान स० च० अ० म० प्र० सीतापुर का सं. 36 दिनांक 12-12-2020 के आदेश अनुपालन ग्राम पड़रखा परग० व तह० व जिला सीतापुर के जोत चक संख्या 41 भाग-1 के गाटा सं. 0/1.186 हे. में से 0.324 हे. से विक्रेता गोविन्द लाल पुत्र परशुराम नि० ग्राम का नाम बजरिये बैनामा सं. 24-23/ई-11-2020 के आधार पर खारिज होकर क्रेता सुनीता व श्रीमती निशिलेश कुमार नि० ग्राम का नाम बतौर बैनामेदार सं० 20 दर्ज हो, तथा नियमानुसार दर्ज हो। [illegible] 30-12-2020. प्रमाणित 31-12-2020.

आदेश श्रीमान स० च० अ० (अ० भू० II) सीतापुर नि० सं० 174 दिनांक 02.8.22 धारा 12 में आदेश हुआ कि ग्राम पड़रखा के CH-23 भाग-1 के चक सं० 41 पर दर्ज खातेदार मृतक श्रीमती धनपती पत्नी राजेश्वर दयाल नि० पड़रखा का नाम पृथक होकर नामजद वारिस सत्यप्रकाश शुक्ला, सुधाकर शुक्ला, दिनाकर शुक्ला, शुक्ला, शुक्ला पुत्रगण राजेश्वर दयाल नि० पड़रखा का नाम बतौर वारिस सगे पुत्र दर्ज हो। [illegible] 03-8-22

सत्य प्रतिलिपि

CANCELLED

CANCELLED

प्रमाणित छाया प्रति
[illegible]
स० च० अ०
27 अप्रैल 2023

नकल सवाल सं० 628
नकल सवाल की तिथि 26-04-23
नकल तैयारी का दिनांक 27 अप्रैल 2023
नकल नोटिस बोर्ड पर चस्पा का दिनांक 27-04-23
नकल कर्ता के ह०
नकल मिलान कर्ता के ह०

27-04-23